राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 19 जून, 2009/29 ज्येष्ठ, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह (अभियोजन) विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 21 मई, 2009

संख्या गृह (अभि) बी–(2)–1/2003–पार्ट–1.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग–1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, सहायक जिला न्यायवादी वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **निरसन और व्यावृतियां.**––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या गृह (अभि) बी–(2)–1/2003 तारीख 5–8–2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियमों का एतदद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 1) के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध–"क"

अभियोजन विभाग हिमाचल प्रदेश में सहायक जिला न्यायवादी वर्ग–I (राजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––सहायक जिला न्यायवादी

2. **पदों की संख्या.**––92 (ब्यानवें)

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–I (राजपत्रित)

4. **वेतनमान.**––(i) नियमित अभ्यार्थियों के लिये वेतनमान–7000–220–8100––275–10300–340–10980 रुपये।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये उपलब्धियां 10500 रुपये स्तम्भ–15 क में दिये गये ब्यौरों के अनुसार।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**––लागू नहीं ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––35 वर्ष और इससे कम ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत्त अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृंद को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.——(क) *अनिवार्य अर्हताएं:* (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में व्यावसायिक उपाधि या इसके समतुल्य और

(ii) अधिवक्ता के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव । अभ्यर्थी को सम्बद्ध जिला वार ऐसोसिएशन / वार कौन्सिल के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

(ख) *वांछनीय अर्हता:* हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.——*आयु :* लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.——दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.——यथास्थिति शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उपरोक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.——लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना.——जैसी कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा. ——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकाण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि यथास्थिति आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः––

I. संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में सहायक जिला न्यायवादी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.––सचिव (गृह), रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

II. संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा आधार पर नियुक्त सहायक जिला न्यायवादी को 10500/– रुपये (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 220/– रुपये की रकम (पद के वेतनमान में न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएंगी।

III. नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.––सचिव (गृह), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

IV. चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

V. संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाये।

VI. करार.––अभ्यर्थी कोए चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(क) *निबन्धन और शर्तें.*––संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 10500/– रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतनमान के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 220/– रुपये (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठता/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभयर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह, उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0 आर0–एम0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. **आरक्षण.**––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए आदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा.**––सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. **प्राईवेट प्रैक्टिस का वर्जन.**––सेवा के किसी भी सदस्य को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा। फिर भी उन्हें विधि परामर्शी की विशेष अनुज्ञा से, अन्य राज्यों, भारत संघ और हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वायत निकायों की ओर से मामलों का अभियोजन, अभिवचन और प्रतिवाद करने की अनुमति दी जा सकेगी और राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत निकायों से फीस प्रभारित की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत निकायों की ओर से सिविल मामलों के संचालन के लिए प्रभारित उक्त फीस का दो तिहाई सम्बन्धित सहायक जिला न्यायवादी को संदत्त किया जाएगा।

19. **शिथिल करने की शक्ति.**––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–"ख"

सहायक जिला न्यायवादी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती.....पुत्र / पुत्री श्री .....निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार सहायक जिला न्यायवादी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :––

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक जिला न्यायवादी के रूप में .....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात् .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 10500 / – रुपये प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्त सहायक जिला न्यायवादी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त सहायक जिला न्यायवादी को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त सहायक जिला न्यायवादी कर्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह, उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. .....
.....
.....
/नाम व पूरा पता।

2. .....
.....
.....
/नाम व पूरा पता। (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. .....
.....
.....
/नाम व पूरा पता।

2. .....
.....
.....
/नाम व पूरा पता। (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Per Home(Prosecution)B(2)-1/2003-Part-I dated 21.5.2009 as required under Clause (3) of Article 348 of Constitution of India*].

DEPARTMENT OF HOME (Prosecution)

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 21*st May*, 2009

No. Home(Pros) B(1)-1/2003 –Part 1.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Asstt. Distt. Attorney, Class-I (Gazetted) in the Department of Prosecution, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Prosecution Department, Asstt. Distt. Attorney, Class-I, (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Recruitment and Promotion Rules for the post of Asstt. Distt. Attorney, Class-1 (Gazetted) in the Department of Prosecution notified vide this department Notification No. Home(Pros.)B(2)1/2003 dated 5-8-2003 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointments made or any thing done or action taken under the rules so repealed under sub rule (1) supra, shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

ANNEXURE-"A"

Recruitment and Promotion Rules for the post of Asstt. Distt. Attorney, Class-I, (Gazetted) in the Department of Prosecution, Himachal Pradesh

1. *Name of the Post.*—Asstt. Distt. Attorney

2. *Number of posts.*—92 (Ninety Two)

3. *Classification.*—Class-1 (Gazetted)

4. *Scale of pay.*—(i) Pay Scale for regular incumbents -Rs. 7000-220-8100-275-10300-340-10980.

(ii) Emoluments for Contract employees 10500/- as per details given in Col.15-A.

5. *Whether selection post or non-selection post.*—Not applicable.

6. *Age for direct recruitment.*—35 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the pr escribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Schedul ed Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s)of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application(s) or notified, to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public service Commission in case, the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.—**Essential Qualification(s)***.—(i) Professional degree in Law from a recognized University or its equivalent; and

(ii) Atleast two years experience as an advocate. The candidate is required to produce experience certificate duly signed by the President, District Bar Association concerned/Bar Council.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the pr omotees.—Age:* Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable.

9. *Period of probation, if any.*—Two years subject to such fur ther extension for a period not exceedi ng one year as may be ordered by the competent aut hority in special circumstances and r easons to be recorded in writing.

10. *Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.*—100% by di rect recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by Service conditions as prescribed in the said column.

11. *In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.*—Not Applicable.

12. *If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.*—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. *Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.* As required under the Law.

14. *Essential requirement for a direct recruitment.*—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. *Selection for appointment to the post by direct recruitment.*—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc., of which, will be determined by the Commission OR other recruiting authority as the case may be.

15-A. *Selection for appointment to the post by contract appointment.*—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(i) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Asstt. Distt. Attorney in the Department of Prosecution will be engaged on contract basis. initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) *Post falls within the purview of HPPSC.*—The Secretary (Home) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H.P.P.S.C.

The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.— The Asstt. Distt. Attorney appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 10500/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay. An amount of Rs. 220/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Home), H.P. will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P. H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(a) **TERMS AND CONDITIONS.—**The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 10500/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay) The contract appointee will be entitled to increase in contractual amount @ Rs. 220/- (equal to annual increase in the minimum initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. The leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. *Reservation.*—The appointment to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled caste/Schedul ed Tribe/other backward classes/other categories of person issued by the Himachal Pradesh Government, from time to time.

17. *Departmental Examination.*— Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the HP Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. *Bar of Private practice.*—No member of the service shall have right of private practice. They may, however be allowed with the special permission of the legal Rememberancer to prosecute, plead or defend casesob behalf of other States,Union of India and autonomous Bodies of Himachal Pradesh Government and fee may be charged by the State Government from other states, Union of India and autonomous bodies. The 2/3rd of the said fees charged by the State Government for conducting civil cases on behalf of other States, Union of India and autonomous bodies, shall be paid to Assistant District Attorney concerned.

19. *Power to relax.*—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so,it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or posts.

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Asstt. Distt. Attorney and the Government of Himachal Pradesh through the Secretary (Home)

This agreement is made on this .....day of ..... in the year .....Between Sh./Smt.....S/o/D/o Shri..... ..... R/o ....

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Secretary(Home) Himachal Pradesh(here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Asstt. Distt. Attorney on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Asstt. Distt. Attorney for a period of 1 year commencing on day of .....and

ending on the day of .....It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY WITH SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on .....and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 10500/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Asstt. Distt. Attorney will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. The leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Asstt. Distt. Attorney. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to termination of the contract. A contractual Asstt. Distt. Attorney will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of Women candidate pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for the fitness from an authori zed Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular conter-part-official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ----------

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ----------

(Name & Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ----------

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

3. ----------

(Name and Full Address)

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 18 जून, 2009

संख्या ई0एक्स0एन0–एफ(5)–6 / 2006–1.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक हो गया है।

2. अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 74) की धारा 8 की उप–धारा (5) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती हैं कि अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल (मद्यनिर्माणशालाओं (ब्रुऑरिज), आसवनियों, वाइनरियों जो फलों / सब्जियों पर आधारित न हो, द्वारा विनिर्मित और वाटलिंग प्लांट) (देसी शराब तथा भारत में बनी विदेशी शराब दोनों से अन्यथा), के विक्रय की बाबत, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्यमान औद्योगिक इकाई या नई औद्योगिक इकाईयों (उन नई औद्योगिक इकाईयों से भिन्न जो करमुक्त औद्योगिक परिक्षेत्र में अवस्थित हैं) को चलाने वाले व्यौहारियों द्वारा विनिर्मित हैं, और जो आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश के पास व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) के अधीन उद्गृहीत कर 31–03–2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से ऐसे माल के कराधेय आवर्त के एक प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा और संदेय होगा ।

3. हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, यह भी निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय विक्रय कर की रियायती दर तभी उद्गृहीत की जाएगी यदि, यथास्थिति, विद्यमान औद्योगिक इकाई या नई औद्योगिक इकाई,––

(i) विक्रय के लिए माल के विनिर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ii) (क) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005, (ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और (ग) नियम सहित स्कीम यदि कोई बनाई गई है भी, इन अधिनियमों के अधीन जारी अधिसूचनाओं और आदेशों के उपबन्धों का अनुपालन करती है;

(iii) न केवल विनिर्माण करती हैं अपितु स्वयं माल का विक्रय भी करती है और यह सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों द्वारा पुनः विक्रय हेतु क्रय या अर्जित किए गए तैयार माल के लिए नहीं होगी ।

(iv) ने विभाग की अधिसूचना संख्या ई0एक्स0एन0–एफ(1)2 / 2004(iii) तारीख 30 मार्च 2005 के अधीन विहित प्ररूप "झ"(I) में, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विभाग के जिला औद्योगिक केन्द्र के

जनरल मैनेजर, जहां पर औद्योगिक इकाई रजिस्ट्रीकृत है या अन्य मामले में निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश या, इस निमित लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके नामनिर्देशिती से, प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, और उस प्रमाण पत्र को, निर्धारण प्राधिकारी को इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के प्ररूप (ई) में, प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया है;

स्पष्टीकरण 1.––इस अधिसूचना के प्रयोजनों हेतु :––

(i) नई औद्योगिक' इकाई से हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाई, जिस ने 31–12–2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया है, अभिप्रेत है; परन्तु ऐसी कोई अन्य औद्योगिक इकाई इसमें सम्मिलित नहीं होगी जो पुनःस्थापना, केवल स्वामित्व के तबदीली, गठन में तबदीली, किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई की पुनः संरचना या पुनः प्रवर्तन के परिणामस्वरूप गठित हुई है;

(ii) विद्यमान औद्योगिक इकाई से ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जिसने 31–12–2004 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया हो;

(iii) 7–1–2003 से पूर्व विद्यमान औद्योगिक इकाई की बाबत, 'पर्याप्त विस्तार' से पच्चीस प्रतिशत से अन्यून क्षमता की विद्यमान इकाई की प्रतिस्ठापित क्षमता में बढ़ौतरी के रूप में किया गया पर्याप्त विस्तार अभिप्रेत है जो अतिरिक्त संयन्त्र और मशीनरी के प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप होना चाहिए और औद्योगिक इकाई ऐसी क्षमता की विस्तारित अवधि जो 31–3–2007 से बाद की न हो, वाणिज्यिक उत्पादन में आती है, इस शर्त को पूर्ण करने के अध्यधीन हो कि विस्तार से नियमित आधार पर नियोजित मानवशक्ति का (संविदात्मक / उपसंविदात्मक आधार पर नियोजन के सिवाय) कम से कम पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त नियोजन होगा और यह समस्त स्तरों पर इससे इसकी कुल मानव शक्ति का 70 प्रतिशत नियोजन हिमाचल के स्थायी निवासियों में से, चाहे नियमित आधार पर या दैनिक आधार पर या संविदात्मक आधार पर या किसी अन्य रीति में करती रहेगी ।

(iv) नकारात्मक सूची (नेगिटिव लिस्ट) पद का वही अर्थ होगाा जो इसका इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई0एक्स0एन0–एफ(1)2 / 2004(iii) तारीख 30 मार्च 2005 में है ।

————————

उपाबन्ध 'क'

प्ररूप–ई

[पैरा 1(*vi*) देखें]

(सम्बन्ध जिला के समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला)

संख्याः.....

प्रमाणित किया जाता है कि..... (कारबार के स्थान के साथ व्यौहारी का नाम), जिसने विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्ररूप–1 में प्रमाण–पत्र दिया है, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या..... जिला..... पर / के विरूद्ध व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और व्यौहारी.....(प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) औद्योगिक इकाई है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या.....तारीख.....के पैरा..... (अधिसूचना का पैरा विनिर्दिष्ट करें) के अंतर्गत आता है ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन व्यौहारी..... वर्षों की अवधि के लिए छूट का हकदार है क्योंकि व्यौहारी की औद्योगिक इकाई कर मुक्त परिक्षेत्र (टैक्स फ्री जोन) में अवस्थित है ।

3. यह प्रमाण पत्र..... से..... तक विधिमान्य होगा ।

स्थान..... निर्धारण प्राधिकारी

तारीख..... जिला.....

(निर्धारण प्राधिकारी की मोहर)

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

[*Authoritative English Text of this department notification No. EXN-F*(5)-6/2006-*I, dated* 18-06-2009 *required under Clause*(3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the18th June, 2009*

No. EXN- F(5)-6/2006-I.—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that it is necessary in the public interest so to do.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that in respect of the sale in the course of inter-State trade or commerce of the goods (other than those manufactured by the breweries, distilleries, nonfruit/vegetable based wineries and botling plants (both of country liquor and Indian made foreign liquor) manufactured by the delaers running any existing industrial unit or new industrial unit (other than those new industrial units which are located in the tax free industrial zone) in the State of Himachal Pradesh, and are registered as dealer with Excise and Taxation Department, Himachal Pradesh, the tax levied under sub-section (1) of section 8 of the said Act shall be calculated and payable at the rate of 1% of the taxable turnover of such goods with immediate effect for the period ending 31-3-2013.

3. The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to direct that the concessional rate of central sales tax specified in para 2 of this notification shall be levied only if the existing industrial unit or new industrial unit, as the case may be,—

(i) has been registered as a delaer under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, for manufacture of goods for sale;

(ii) complies with the provisions of (a) Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (b) the Central Sales Tax Act, 1956 and (c) the rules including the Scheme, if any made, the notifications and orders issued under these Acts;

(iii) not only manufactures but also sells goods by themselves and it shall not be open for finished goods purchased or acquired by concerned industrial units for re-sale;

(iv) has obtained a certificate in Form 'I' prescribed under this Department notification No. EXN-F(1)-2/2004(iii) dated 30th March, 2005 from the General manager,

District Industries Centre of the Department of Industries of the Government of Himachal Pradesh where the industrial unit is registered or in other case from the Director of Industries, Himachal Pradesh or his nominee duly authorised, in writing, in this behalf, and has furnished the same certificate to the Assessing Authority for the grant of certificate in form 'E' appended as Annexure 'A' to this notification ;

Explanation I.—For the purposes of this notification,—

(i) 'new industrial unit' means an industrial unit located in Himachal Pradesh which commenced/commences commercial production on or after 31.12.2004, but will not include any industrial unit which is formed as a result of reestablishment, mere change of ownership, change in the constitution, re-structuring or revival of an existing industrial unit;

(ii) 'existing industrial unit' means an industrial unit which commenced production before 31-12-2004;

(iii) 'substantial expansion' in respect of the industrial unit existing before 7-1-2003, means substantial expansion undertaken by way of increase in installed capacity of the existing unit by not less than 25% of the capacity, which should be the result of installation of additional plant and machinery and the Industrail unit comes into commercial production from such expanded period of the capacity, not later than 31-3-2007 subject to the fulfillment of the condition that such expansion shall result in additional employment of atleast 25% (excluding employment contractual/on sub-contractual basis) of the existing manpower employed on regular basis and further that it will continue to employ at all levels, atleast 70% of its total manpower whether on regular basis or daily basis or contractual/sub-contractual basis or by any other mode from amongst the bonafide Himachalis;

(iv) the expression 'negative list shall have the same meaning as assigned to it by this Department notification No. EXN-F(1)2/2004 (iii) dated 30th March, 2005.

_____

ANNEXURE 'A'

FORM 'E'

[*See* para 1(*vi*)]

(To be issued by the appropriate Assessing Authority of the District concerned)

No. _____

This is to certify_____ (name of the dealer with place of business), who has furnished a certificate in Form I from the specified authority has been registered as a dealer under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, against Registration Certificate No._____ in _____ district and the dealer is an industrial unit_____ (specify the category) and is covered by para_____ (specify the para of the Notification) of the Government of Himachal Pradesh, Excise and Taxation Department Notification No._____ dated_____.

2. This is to further certify that subject to the compliance of terms and conditions specified in the above notification, the dealer is entitled to exemption for a period of _____years as the industrial unit of the dealer is located in tax free zone.

3. This certificate shall be valid from_____ to _____

Place_____ Assessing Authority

Dated_____ District_____

_____
(Seal of the Assessing Authority)

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 18 जून, 2009

संख्या 1(ए) 3–9/1991–श्रम–I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैंडा मल हेम राज बिल्डिंग, न्यू शिमला, फेज़–III, सेक्टर–**V**, बी०सी०एस०, शिमला, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित **"**वोडाफोन स्टोर**"** को उक्त अधिनियम की धारा 10 (1) के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस अधिसूचना के राजपत्र (ई–गज़ट) में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, इस शर्त के अध्यधीन लोकहित में छूट प्रदान करती हैं कि उन द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 व 11 के उपबन्धों के अनुसार नियोजन के घण्टों और बन्द के दिवसों की अनुपालना की जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ता/–
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. 1 (A) 3- 9/91-Labour-I, dated 18-6-2009 as required and clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-71002, 18*th June*, 2009

No. 1 (A) 3- 9/ 91-Labour-I.—In exercise of the powers conferred by the section 27 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant exemption to the "Vodafone Store" located at Genda Mull Hem Raj Building, New Shimla, Phase-III, Sector-V, BCS, Shimla, Himachal Pradesh from the operation of the provisions of section 10 (1) of the said Act, in the public interest subject

to the conditions that they will follow provisions of hours of employment and off-days as per section 7 & 11 of the Act *ibid*, for a period of one year from the date of publication of this notification in the official gazette (e-gazette).

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary.

———

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित